UPBJ010060132026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP.1997

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2324/2026

मनीश कुमार बनाम सरकार

दिनांकः–30–07–2026 **आदेश**

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त **मनीश कुमार** पुत्र विजपाल सिंह निवासी ग्राम धर्मसा नंगली थाना नगीना जिला बिजनौर की ओर से मु0अप0सं0–62/2026, धारा 115(2),352,351(3),110,118(1),49 बी0एन0एस0 थाना नगीना जिला बिजनौर के मामले में अग्रिम जमानतध्झ पर रिहा किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मामले में रंजिश की बिनाह पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। घटना दिनॉक 04–03–2026 की दर्शायी है, प्रार्थी की जन्मतिथि हाई स्कूल अंकपत्र के अनुसार 10–01–2008 है, जिसके अनुसार प्रार्थी की आयु 18 वर्ष 01 माह 24 है और प्रार्थी घटना के समय वयस्क था, विवेचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आयु के सम्बन्ध सही जांच नहीं की गयी और गलत तौर पर प्रार्थी का आरोप पत्र किशोर न्यायबोर्ड के न्यायालय में प्रेषित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 07 दिन से भी अधिक विलम्ब से लिखायी गयी है, विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है, रिपोर्टकर्ता व साक्षियों के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं। प्रार्थी ने रिपोर्टकर्ता के पुत्रों के साथ लाठी डन्डो व धारदार हथियार से कभी कोई मारपीट नहीं की है, वाद उपरोक्त में चोटें साधारण प्रकृति की हैं, गम्भीर चोट नहीं है। वास्तविकता यह है कि रिपोर्ट कर्ता व उसके पुत्रों द्वारा शराब के नशे में प्रार्थी के घर जाकर दिनॉक 04–03–2026 व 05–03–2026 को प्रार्थी व उसके परिवारवालों के साथ गाली गलौच व मारपीट कर की तथा महिलाओं के साथ छेड़खानी व मारपीट की गयी थी। प्रार्थी के पिता ने 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया पुलिस ने प्रार्थी व उसके परिवार वालों को बचाया। प्रार्थी के पिता द्वारा दिनॉक 04–03–2026 को थाना नगीना में प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी न ही मैडिकल कराया तब प्रार्थी के पिता ने दिनॉक 06–03–2026 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र दिया, जिसपर पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने जांच के आदेश दिये है और शेष जांच अभी जारी है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में धारा 35(3)बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत थाने से जमानत पर है, प्रार्थी ने जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्त रितेश कुमार की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 30–06–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रार्थी द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

एफ0आई0आर0 के अनुसार, वादी राजपाल सिंह के गॉव का व्यक्ति मोहित कुमार दिनॉक 04–03–2026 को अपने वाहन में डी0जे0 का सैट लगाकर तेज आवाज में बजा रहा था, प्रार्थी के पुत्र हिमांशु व गौरव के मना करने पर वह आग बबूला हो गया और आमादा फौजदारी हो

गया और प्रार्थी के पुत्र के साथ गाली गलौच करने लगा और कुछ देर बाद विजयपाल के कहने पर मोहित कुमार व उसके भाई रितेश कुमार व मनीष कुमार ने मौके पर आकर लाठी डन्डों से मारपीट की और रितेश कुमार घर से पाठल लेकर आया था उसने प्रार्थी के पुत्र हिमांशु के सिर के मध्य भाग के जानिब दाहिनी ओर उसके कान के पास मार दी उसके गॉव वालों ने आकर लहु लुहान हिमांशु व गौरव की जान बचायी और जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्रों को लाठी डन्डों व पाठल से मारपीट करने व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना बताया गया है। चुटैल गौरव व हिमांशु की सभी चोटों को मैडिकल रिपोर्ट व सप्लीमैन्ट्री रिपोर्ट में साधारण प्रकृति की चोट बताया गया है। अभियुक्त को दौरान विवेचना थाने से धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर रिहा किया गया था, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय किशोर न्यायबोर्ड में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित अपराध सात साल तक की सजा से दण्डनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में सह अभियुक्त रितेश कुमार की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनॉक 30–06–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सैन्ट्रल ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टीगेशन आदि** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को **पच्चीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू निम्न शर्तों के अधीन दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1. अभियुक्त आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध करायेगा।
2. अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा।
3. अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. अभियुक्त न्यायालय में आरोप विरचन की तिथि को, साक्षीगण की उपस्थिति की दिनांक को एवं धारा–313 दं0प्र0सं0/धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यदि आवेदक–अभियुक्त उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता है एवं नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होने में व्यतिक्रम करता है, तो सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त को दी गयी अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(संजय कुमार VII)
सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।
30–07–2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.30 17:22:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court